बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम–

राज्य योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में कृषि रोड मैप अतंर्गत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत कुल 2500.00 लाख रू0 की लागत से ईख विकास की योजनायें कार्यान्वित की जा रही है। जिससे गन्ने की उत्पादन एवं उत्पादकता के साथ सुगर रिकवरी में वृद्धि लायी जा सके। वर्तमान वर्ष में गन्ने की चयनित उन्नत प्रभेदों के बीजों पर अनुदान देने का निर्णय भी लिया गया है। इससे गन्ना किसानों के द्वारा उन्नत प्रभेदों से खेती करने पर राज्य में गन्ने की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि संभव होगा। इस योजनांतर्गत लाभार्थियों का चयन प्रखण्डस्तरीय आम सभा से पारित सूची के अंतर्गत गन्ना किसानों को योजनाओं का लाभ '' **पहले आओ पहले पाओ** '' के आधार पर दिया जाएगा। वर्तमान वर्ष में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित अवयवों पर गन्ना किसानों के लिए योजनायें चलायी जा रही है।

वर्तमान में गन्ने की फसल में बीज प्रतिस्थापन दर लगभग 32 प्रतिशत है। बीज प्रतिस्थापन दर को 70–80 प्रतिशत तक बढ़ाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य में कार्यरत भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर एवं ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा प्रजनक बीज उत्पादन पर 1.80 लाख रू0 प्रति हे0 की दर से प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है।

राज्य में गुणवत्तायुक्त नवीनतम प्रभेद के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार बीज उत्पादन पर 25,000/– रू0 प्रति हे0 की दर से अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। आधार बीज उत्पादन करने वाले सरकारी संस्थान/चीनी मिल/प्रगतिशील किसान को प्रोत्साहित किया गया है।

राज्य के लिए चयनित गन्ना के 14 प्रभेदों यथा–CO-98014, CO-0118, CO-0238, CO-0239, CO-0232, COP-9301, COLK-94184, COS-8432, COS-8436, COP-2061, COS-767, BO-139, BO-141 एवं BO-153 प्रभेदों के निबंधित प्रमाणित बीज चीनी मिलों द्वारा किसानों के बीच वितरण किये जाने का प्रावधान है। निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य कोटि के किसानों को 135/– रू0 प्रति क्वींटल तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के किसानों को 175/– रू0 प्रति क्वींटल की दर से अनुदान देय है। किसानों को अनुदान की राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में RTGS अथवा अन्य वैकल्पिक इलेक्ट्रोनिक हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है।

राज्य में चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। प्रमाणित बीज उत्पादक (किसान/चीनी मिल) को 55/– रू0 प्रति क्वींटल की दर से प्रोत्साहन अनुदान देय है। संबंधित बीज उत्पादन (किसान/चीनी मिल) को RTGS अथवा अन्य वैकल्पिक इलेक्ट्रोनिक हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से प्रोत्साहन अनुदान का भुगतान किया जा रहा है।

राज्य में रसायनिक उर्वरकों का उपयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य में दिन–प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाये रखने हेतु जीवाणु खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीवाणु खाद पर प्रति हेक्टेयर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 180 रू0 अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। गन्ना कृषक जीवाणु खाद का क्रय अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से करेंगे तथा क्रय किए कैश मेमौ के जांचोपरान्त अनुदान की राशि RTGS अथवा अन्य वैकल्पिक इलेक्ट्रोनिक हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

इस योजनांतर्गत जैव कार्बनिक खाद वितरण पर भी अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इस योजनांतर्गत जैव कार्बनिक खाद पर प्रति हेक्टेयर अधिकतम 1200/– रू0 अनुदान देय है।

इस योजनांतर्गत पौधा संरक्षण रसायन वितरण पर भी अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। पौधा संरक्षण रसायन पर प्रति हेक्टेयर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 1000/– रू0 अनुदान देय है। किसानों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS अथवा अन्य वैकल्पिक इलेक्ट्रोनिक हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है।

इस योजनांतर्गत गन्ना किसानों को नई तकनीक से खेती करने हेतु कृषक प्रशिक्षण के आयोजन पर 30,000/– रू0 प्रति प्रशिक्षण व्यय करने का प्रावधान किया गया है। कृषक प्रशिक्षण में के0भी0के0 के वैज्ञानिकों एवं विभागीय पदाधिकारी के साथ गन्ना किसान भी आमंत्रित किये जाते हैं। यह एकदिवसीय प्रशिक्षण 300 प्रगतिशील गन्ना कृषकों के लिए आयेाजित किया जाता है।

इस योजनांतर्गत एक राज्यस्तरीय कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कराने का प्रावधान किया गया है जिसमें कुल 1000 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण में राष्ट्रीय/राज्य स्तर के गन्ना विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना है। साथ ही क्षेत्र के निर्वाचित सांसद/विधायक/पार्षद/त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ–साथ गन्ना किसानों को आमंत्रित किया जाता है।

वर्ष 2015–16 हेतु मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0सं0	कार्य अवयव	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5
1	राज्य में IISR, Motipur Centre/SRI, Pusa द्वारा प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहन राशि @ 1.80 लाख प्रति हे0	हे0	62	111.60000
2	चीनी मिल/बीज उत्पादक किसान को आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि @ 25000 रू0 प्रति हेक्टेयर	हे0	1200	300.00000
3	गन्ना के चयनित प्रभेदों का अनुदानित दर पर प्रमाणित/सत्यापित बीज वितरण बीज क्रय अनुदान 135 रू0/क्वींटल (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु 175 रू0/क्वींटल)	क्वी0	750000	1347.10000
4	प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम @ 55 रू0 प्रति क्वींटल	क्वी0	750000	412.50000
5	जीवाणु खाद का वितरण (PSB/Azotobacter/Acetobacter/Azospirillum/ Azpergillus/Awamori/Bacillus psuedomonas) मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 180 रू0 प्रति हे0	हे0	15000	27.00000
6	बिहार के कार्यरत चीनी मिल द्वारा निर्मित जैव काबर्निक खाद पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 120 रू0 प्रति क्वी0 (10 क्वीं0 प्रति हे0)	हे0	15000	180.00000
7	पौधा संरक्षण रसायन का वितरण मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 1000 रू0 प्रति हे0	हे0	10180	101.80000
8	300 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण @ 30,000 रू0 प्रति प्रशिक्षण	संख्या	50	15.00000
9	राज्यस्तरीय कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण	संख्या	1	5.00000
	Total-			**2500.00000**

(पच्चीस करोड़ रू0) मात्र।

****